ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. No.- 212-218

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- I, Issues-27, YEAR- Jan.-March-2023

ग्रामीण परिवेश में रहने वाले कमजोर वगों के गैर–कृषि ऋण की स्थिति का अध्ययन

डॉ0 गंगाधर

सहायक आचार्य– अर्थशास्त्र विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी (उ0प्र0) भारत

Received-13.02.2023, Revised-19.02.2023, Accepted-24.02.2023 E-mail: gangadharmohan1@gmail.com

सारांशः ***भारत में बड़ी संख्या में छोटे सीमान्त किसानों को संसाधनों की कमी से जुझते हुए देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि खेती–बाड़ी की सफलता के लिये समय पर पर्याप्त साख की उपलब्धता बहुत आवश्यक है। गरीबी को दूर करने के लिये गरीबों को रोजगार देना होगे। विकास की समस्या गरीबी की सबसे भयानक स्थिति पर सीधा प्रहार करती है। गरीबी, भूखमरी, बीमारी, अशिक्षा, बेरोजगारी और असमानताओं जैसी समस्याओं के उन्मूलन को विकास के मुख्य लक्ष्यों में शामिल किया जाना चाहिए। हमें यह बताया गया था कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद को बढ़ाया जाना चाहिये, क्योंकि इससे गरीबी का निदान होगा। किसी भी विकासात्मक गतिविधि के लिये प्रमुख आवश्यकताओं में से एक साख है और कमजोर वगों के लिये इसे खरीदना बेहद मुश्किल और महंगा है। जहाँ बैंकों द्वारा कृषि ऋण देना ग्रामीण विकास का एक तरीका है, वहीं दूसरा तरीका ग्रामीण कारीगरों, शिल्पकारों, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों, सीमान्त व्यापारियों आदि की सहायता करना है, ताकि लाभकारी रोजगार इन जरूरतमन्द लोगों को पर्याप्त आय अर्जित करना सुनिश्चित कर सकें। गरीबी रेखा से ऊपर रहने के लिये गैर– कृषि गतिविधियों की यह उपेक्षा विशेष रूप से जनपद मैनपुरी जैसे पिछड़े जिले में एकीकृत ग्रामीण विकास प्राप्त करने के लिये आवश्यक गैर– कृषि क्षेत्र के विकास को बाधित करेगी। देश मे समयोपरि ग्रामीण ऋण की जबरदस्त वृद्वि के बावजूद, यह अनुमान लगाया जाता है कि अब भी गैर संस्थागत ऋण देश मे कुल कृषि ऋण का दो तिहाई हिस्सा है। गरीब ग्रामीण अन्तत गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाते हैं, क्योंकि साहूकारों से धन उधार लेते है जो असामान्य ब्याज दर वसूलते है। देश में अभी कई बैंक रहित क्षेत्र है, हालांकि कृषि में मशीनीकरण की शुरूआत के बाद से ग्रामीण ऋण की मॉग लगातार बढ़ रही है। यह जानने के लिये कि इन उधारकर्ताओं की आय और रोजगार में काफी वृद्वि हुई या नही, ऋणराशि के उपयोग के बाद आय और रोजगार क्रेडिट सुविधा से पहले और क्रेडिट सुविधा एकत्र करने के बाद और निष्कर्ष पर पहुँचने की तुलना में।***

कुंजीभूत शब्द– खेती–बाड़ी, रोजगार, विकास, भूखमरी, बीमारी, अशिक्षा, बेरोजगारी, विकासात्मक गतिविधि, मशीनीकरण।

भारत गॉवों का देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि 54.6 प्रतिशत जनसंख्या कृषि और उससे सम्बन्धित कार्यो में लगी हुई है। (संगणना 2011) जब तक गॉवों का विकास नही होगा तब तक भारत की अर्थव्यवस्था में वास्तविक वृद्वि और प्रगति नही हो सकती है। भारत में बड़ी संख्या में छोटे सीमान्त किसानों को संसाधनों की कमी से जुझते हुए देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि खेती–बाड़ी की सफलता के लिये समय पर पर्याप्त साख की उपलब्धता बहुत आवश्यक है। (आर्थिक समीक्षा 2020–21, खण्ड–2:245) गरीबी को दूर करने के लिये गरीबों को रोजगार देना होगे। विकास की समस्या गरीबी की सबसे भयानक स्थिति पर सीधा प्रहार करती है। गरीबी, भूखमरी, बीमारी, अशिक्षा, बेरोजगारी और असमानताओं जैसी समस्याओं के उन्मूलन को विकास के मुख्य लक्ष्यों में शामिल किया जाना चाहिए। हमें यह बताया गया था कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद को बढ़ाया जाना चाहिये, क्योंकि इससे गरीबी का निदान होगा। (Haq,ul,Mohammad 1971:6) आज हम सुदृढ़, गतिशील तथा समुत्थानवादी कृषि अर्थव्यवस्था के विकास को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे है। लेकिन यह विकास तभी होगा जब कृषि से जुड़े गैर–कृषकों व सीमान्त कृषकों का विकास करने में हम सफल होते है। (आठवीं पंचवर्षीय योजना, खण्ड–एक:1) ग्रामीण उद्योग भारत की दुर्लभ पूँजी और अधिशेष अर्थव्यवस्था में रोजगार पैदा करने का एक मात्र भरोसेमन्द माध्यम है। इसका मतलब यह नही है कि हमारे देश के बड़े स्तर के उद्योगों की कोई भूमिका नही है।

आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के लिये आवश्यक संरचनात्मक परिवर्तन लाने के लिये बड़े स्तर के उद्योग उपयोगी होते है। लेकिन हम ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये बड़े स्तर के उद्योगों की ओर नही देख सकते। बड़े स्तर के उद्योग पूँजी प्रधान होते है। छोटे स्तर के उद्योग की तुलना में बड़े स्तर के उद्योग में रोजगार पैदा करने के लिये आवश्यक प्रति व्यक्ति पूँजी की मात्रा काफी अधिक है। इसलिये, हम लघु उद्योगों और ग्रामीण उद्योगो में पूँजी की प्रति इकाई अधिक रोजगार प्रदान कर सकते है। ग्रामीण उद्योगों के विकास में न केवल ग्रामीण बेरोजगार की समस्या का समाधान होगा, बल्कि कुछ स्थानीय संसाधनों का उपयोग करने में भी मदद मिलेगी जो अनुपयोगी है। कृषि क्षेत्रों में लगे लोगों का अल्प–रोजगार और रोजगार में लगे लोगों की आमदनी का स्तर बहुत कम है, उन्हें अपनी उत्पादन क्षमता और आय का स्तर बढ़ाने की सामर्थ्य प्राप्त हो परम्परागत तथा असंगठित क्षेत्रों में स्वरोजगार, प्रौद्योगिकी के उन्नयन और ऋण तथा बाजार सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है अन्य क्रियाकलापो में अल्प–रोजगार में लगे गरीबों को अनुपूरक कार्य उपलब्ध कराने

अनुरूपी लेखक / संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- I, Issues-27, YEAR- Jan.-March-2023

के कार्यक्रम आगे जारी रखे जाने की आवश्यकता है। (आठवीं पंचवर्षीय योजना, खण्ड–एक:14) भारतीय आर्थिक स्थिति के विरोधाभासों में से एक यह है कि ग्रामीण उद्योगों के आर्थिक रूप से कमजोर और असंगठित कारीगरों को कच्चे माल और वित्त की खरीद के लिये संगठित उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। ग्रामीणस्तर पर पारंपरिक प्रकार के उद्योग और सेवाएं, उच्च श्रम–पूँजी अनुपात के साथ, रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने की बेहतर संभावनाएँ प्रदान करती है। ग्रामीण और कुटीर उद्योगों में लगे ग्रामीण कारीगर, निम्न आय वर्ग के लिये उत्पादन करने और उनकी जरूरतों को पूरा करने में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की क्षमता में वृद्वि करते है। टक्कर समिति की सिफारिशों में इस बात पर जोर दिया गया है कि ग्राम शिल्प और सेवाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि उनमें रोजगार की बड़ी संभावना होती है। बीस–सूत्रीय कार्यक्रम इस बात पर जोर देता हे कि बड़ी संख्या में कमजोर वर्गो, विशेष रूप से ग्रामीण कारीगरों को दी गई सुविधाएं, निवेश करने की उनकी क्षमता को बढ़ाती है और इस प्रकार आर्थिक विकास के लाभों को प्राप्त करने में मदद करती है। इसके अलावा ग्रामीण कारीगरों, शिल्पकारों, छोटे व्यवसायियों आदि को सहायता, उन्हें अपने जीवन स्तर में सुधार के लिये पर्याप्त आय अर्जित करने में सक्षम बनाती है।

इस सन्दर्भ में, यह आशा कि जाती है कि समाज के व्यापक वर्ग के आर्थिक कल्याण में योगदान देने में बैंकों की बड़ी भूमिका होगी। अब लगभग सात दशक हो गया है, जिसके दौरान समाज के कमजोर वर्गो के वित्तपोषण में वाणिज्यिक बैकों की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है।

जनपद मैनपुरी उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ें क्षेत्रों में से एक है। यह न केवल कृषि के क्षेत्र में बल्कि संबद्व गतिविधियों और विनिर्माण क्षेत्र में भी है। कमजोर वर्गो की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिये लोगों को आवश्यक ऋण उपलब्ध कराकर अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को एक साथ विकसित करने की आवश्यकता है। यह देखा गया है कि कृषि क्षेत्र को अधिक से अधिक ऋण उपलब्ध कराया गया है और ग्रामीण क्षेत्रों में गैर–कृषि गतिविधियों के विकास की उपेक्षा की गई है, इन ऋणकताओं को पर्याप्त ऋण प्रदान नही किया गया है। सामान्य तौर पर केवल गैर–कृषि गतिविधियों ही होती है और पांरपरिक शिल्प और ग्राम उद्योग विशेष रूप से अपने उच्च श्रम पूँजी अनुपात के साथ अपनी आय बढ़ाने के लिये अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने की बेहतर संभावनाएँ रखते है।

किसी भी विकासात्मक गतिविधि के लिये प्रमुख आवश्यकताओं में से एक साख है और कमजोर वगों के लिये इसे खरीदना बेहद मुश्किल और महंगा है। जहॉ बैकों द्वारा कृषि ऋण देना ग्रामीण विकास का एक तरीका है, वहीं दूसरा तरीका ग्रामीण कारीगरों, शिल्पकारों, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों, सीमान्त व्यापारियों आदि की सहायता करना है, ताकि लाभकारी रोजगार इन जरूरतमन्द लोगों को पर्याप्त आय अर्जित करना सुनिश्चित कर सकें। गरीबी रेखा से ऊपर रहने के लिये गैर–कृषि गतिविधियों की यह उपेक्षा विशेष रूप से जनपद मैनपुरी जैसे पिछड़ें जिलें में एकीकृत ग्रामीण विकास प्राप्त करने के लिये आवश्यक गैर– कृषि क्षेत्र के विकास को बाधित करेगी। व्यापक रूप से साक्षा विचार है कि संस्थागत ऋण के प्रवाह में तेजी लाने के लिये विशेष रूप से ग्रामीण समुदाय के कमजोर वर्गो की जरूरतों को पूरा करने के लिये एक दृढ़ प्रयास की आवश्यकता है। यह हाल के वर्षो में ग्रामीण आबादी को संस्थागत ऋण की उपलब्धता में एक प्रभावशाली कदम के बावजूद देखा गया है। सहकारी ऋण एजेंसियों और राष्ट्रीयकृत बैकों की विभिन्न कमजोरियों ने यह डर पैदा कर दिया है कि मौजूदा संस्थाएँ, जैसे कि वे वर्तमान में संरचित है, ग्रामीण ऋण संस्थागत प्रणाली में क्षेत्रीय और कार्यात्मक अन्तराल को उचित समय के भीतर भरने में सक्षम नही होंगे। भारत सरकार ने यह भी महसूस किया है कि राष्ट्रीयकृत बैकों में प्राप्त करने वाले लोगों से पूरी तरह अलग व्यवहार और परिचालन लोकाचार के आधार पर नए संस्थानों की स्थापना करना आवश्यक था। भारतीय रिजर्व बैंकों ने अपनी रिपोर्ट में क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना की एक विकास के रूप में वर्णित किया है कि जिसका ग्रामीण क्षेत्रों में बैकिंग सुविधाओं के विस्तार पर प्रभाव पड़ेगा।(RBI-1975-76: P.100.)

चूंकि भारत में वाणिज्यिक बैंक ग्रामीण गरीबों को ऋण का एक नगण्य अनुपात दे रहे है और ग्रामीण क्षेत्र में कमजोर वर्गो की उपलब्ध ऋण सुविधाओं और ऋण आवश्यकताओं के बीच की खाई को भरने की आवश्यकता पर विचार करते हुये, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की स्थापना की गई है। एक तत्काल आवश्यकता बन गया है। देश मे समयोपरि ग्रामीण ऋण की जबरदस्त वृद्वि के बावजूद, यह अनुमान लगाया जाता है कि अब भी गैर संस्थागत ऋण देश मे कुल कृषि ऋण का दो तिहाई हिस्सा है। (Rural Banks, 1975) गरीब ग्रामीण अन्तत गरीबी के दुश्चक्र में फंस जाते हैं क्योंकि साहूकारों से धन उधार लेते है जो असामान्य ब्याज दर वसूलते है। (RBI:P.358.) देश में अभी कई बैंक रहित क्षेत्र है, हालांकि कृषि में मशीनीकरण की शुरूआत के बाद से ग्रामीण ऋण की मॉग लगातार बढ़ रही है।

हालांकि, यह स्पष्ट रूप से जोर दिया गया है कि इन बैकों की उधार गतिविधियों का विश्वास छोटे और सीमान्त किसानो, भूमिहीन मजदूरों, छोटे व्यापारियों, ग्रामीण कारीगरों और ग्रामीण समाज के कमजोर वर्गो से सम्बन्धित व्यक्तियों के

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- I, Issues-27, YEAR- Jan.-March-2023

लिये ऋण प्रदान करने की ओर होना चाहिये। भारत सरकार की सोच में यह भी निहित है कि ग्रामीण समाज के कमजोर वर्गो को सामान्य रूप से मौजूदा क्रेडिट संस्थानों से ज्यादा फायदा नही हुआ है। भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि ग्रामीण बैंकों के नये संस्थानों को इस कमी को दूर करना चाहिये और ग्रामीण गरीबों के विकास को आग बढ़ाने के लिये काम करना चाहिये। छोटे और सीमान्त किसानों और ग्रामीण कारीगरों को आधुनिक आदानों जैसे बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्सों, रासायनिक उर्वरकों, कच्चें माल की खरीद और उन्नत मशीनी आदि पर निवेश करना मुश्किल लगता है, क्योंकि उनके पास निवेश के उद्वेश्य के लिये पर्याप्त धन नही है। इसलिये, ग्रामीण बैंकों केा निवेष का आकार लेने के लिये ऋण देना होगा। बैकिंग आयोग ने वर्ष 1972 में अपनी रिपोर्ट (Government of India, Report of the Banking Commission, Department of Finance, 1972, New Delhi:P.165-174.) पहली बार वाणिज्यिक बैंकों के विस्तार गतिविधियों के रिकॉर्ड की जॉच के बाद ग्रामीण बैंकों की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। इस दृष्टिकोण के अनुसरण में भारत सरकार ने 1 जुलाई 1975 को नियुक्त किया गया।

एम.नरसिम्हम के नेतृत्व में एक कार्य दल ने विस्तार से जॉच करने के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सहायक कम्पनियों के रूप में नये ग्रामीण बैंकों की स्थापना की आवश्यकता की जॉच की। ग्रामीण लोगों की ऋण आवश्यकताएँ। वर्किग ग्रुप ने एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौप दी और भारत सरकार ने सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अस्तित्व में आने के बाद 1976 के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनिमय द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

इन नए वित्तीय संस्थानों की स्थापना ने भारतीय अर्थव्यवस्था के योजनाकारों, नीति निर्माताओं और पर्यवेक्षकों के बीच काफी रूचि पैदा की है। ग्रामीण ऋण के क्षेत्र में नवाचार ने भारत में बैंकिंग में एक नया आयाम जोड़ा है। इसे मुख्य रूप से ग्रामीण गरीबों के विकास के माध्यम से ग्रामीण विकास के उद्वेश्य को प्राप्त करने के लिये संभावित शक्तिशाली नी उपकरण के रूप में माना जाता है।

यह स्पष्ट रूप से जोर दिया गया है कि इन बैंको की उधार गतिविधियों का विष्वास छोटे और सीमान्त किसानों, भूमिहीन मजदूरों, छोटे व्यापारियों, ग्रामीण कारीगरों और ग्रामीण समाज के कमजोर वर्गो से सम्बन्धित व्यक्तियों के लिये ऋण प्रदान करने की ओर होना चाहिये। भारत सरकार की सोच में यह भी निहित था कि ग्रामीण समाज के कमजोर वर्गो को सामान्य रूप से मौजूदा क्रेडिट संस्थानो से ज्यादा फायदा नही हुआ था। इसलिये, यह निर्णय लिया गया है कि ग्रामीण बैंकों के नये संस्थानों को इस कमी को दूर करना चाहिये और ग्रामीण गरीबों के विकास को आगे बढ़ाने के लिये काम करना चाहिये। हालॉकि, नये ग्रामीण बैकिंग का विचार और ग्रामीण परिवेश में स्थानीय कर्मचारियों के साथ ऐसे बैंकों का संचालन गॉवों के गरीब लोगों को सबसे अधिक घरेलू समस्याओं को खोजने के लिये मजबूर कर रहा है। छोटे और सीमान्त किसानों और ग्रामीण कारीगरों को आधुनिक आदानों जैसे बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्मों, कच्चे माल, उन्नत मषीनरी और रासायनिक खादों आदि पर निवेश करना मुष्किल लगता है, क्योंकि उनके पास निवेश के उद्वेश्य के लिये पर्याप्त धन नही है। इसलिये, ग्रामीण बैंकों को निवेश का आकार लेने के लिये ऋण देना होगा।

समस्या कथन– चूंकि ग्रामीण क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है, इसलिये कमजोर वर्गो पर अधिक जोर देते हुये ग्रामीण आबादी की जीवन शैली में सुधार की आवश्यकता है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि छोटे और सीमान्त किसानों, ग्रामीण कारीगरों, छोटे व्यापारियों आदि की आय को उनकी आर्थिक गतिविधियों में निवेश करने की क्षमता बढ़ाकर उनकी आय में वृद्वि की जा सकती है। विशेष रूप से आबादी के इन वर्गो की सहायता करने के लिये, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्रेडिट के पूरक के लिये, अस्तित्व में आये जो पहले से ही सहकारी और वाणिज्यिक बैकों द्वारा उपलब्ध कराया गया है। चूंकि गैर– कृषि ऋण की बुराइयां सर्वविदित है, इसलिये ग्रामीण भारत में कमजोर वर्गो को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में पर्याप्त और समय पर ऋण की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर–कृषि गतिविधियों को पर्याप्त ऋण नही मिल पा रहा है। चूंकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों गैर– कृषि क्षेत्र की बहुत मदद कर रहे है, इसलिये जिले में गैर– कृषि गतिविधियों के वित्त पोषण में ग्रामीण बैंक की भूमिका की जॉच करना आवश्यक है।

अध्ययन का महत्व– यद्यपि सहकारी समितियों और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया गया है और उन पर प्रकाश डाला गया है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा गैर– कृषि क्षेत्रों का उपलब्ध कराये गये ऋण के महत्व का अभी पूरी तरह से विश्लेषण किया जाना है जो इस अध्ययन की आवश्कता को स्पष्ट करता है। चूंकि यह निर्विवाद है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गो का वित्तीय मोर्चे पर दयनीय अस्तित्व है, ग्रामीण ऋण का विषय समय–समय पर विभिन्न विशेषज्ञ समितियों द्वारा आलोचनात्मक समीक्षा के लिये आया है। हालांकि, इसका अधिकांश छोटे और मध्यम किसानों की कृषि, ग्रामीण कारीगरों की गतिविधियों आदि के बजाय बडे पैमाने पर और मध्यम पैमाने की कृषि की ऋण संभावनाओं को मजबूत करने तक सीमित था। यह ग्रामीण क्षेत्रों में गैर–कृषि गतिविधियों के मामले में अधिक सच है। इसलिये इस अध्ययन में क्षेत्रीय

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- I, Issues-27, YEAR- Jan.-March-2023

ग्रामीण बैंकों द्वारा गैर– कृषि गतिविधियों को दिये गये ऋण की सीमा की जॉच करने का प्रयास किया किया गया है। वर्तमान अध्ययन उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में ग्रामीण बैंकों की भूमिका तक सीमित हैं, विशेष रूप से गैर– कृषि गतिविधियों के लिये कमजोर वर्गो को ऋण सुविधाऍ प्रदान करने में और ये कमजोर वर्ग इस क्षेत्र मे ऋण सुविधाओं का कितना उपयोग कर रहे हैं। उपरोक्त सभी अध्ययन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सामान्य पहलुओं को शामिल करते हुए आयोजित किये जाते थे, लेकिन वर्तमान अध्ययन कमजोर वर्गो की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों को कवर करते हुये सूक्ष्म स्तर पर लिया गया है और क्या उधारकर्ताओं ने उस उद्वेश्य के लिये ऋण का उपयोग किया है जिसके लिये उन्हें प्रदान किया गया था, विविधीकरण की मात्रा और गैर–कृषि ऋण के प्रभाव मैनपुरी जैसे पिछड़े जिले में कमजोर वर्गो की आय और रोजगार पर निम्नलिखित उद्वेश्यों है।

शोधपत्र का उद्वेश्य– शोध अध्ययन के निम्नलिखित उद्वेश्य है :

1. जिले के कमजोर वर्गो को जमा राशि जुटाने और ऋण देने में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भूमिका को समझना।
2. उधारकर्त्ताओ का श्रेणी–बार वितरण का अध्ययन।
3. कमजोर वर्गो द्वारा प्राप्त रोजगार और आय पर गैर–कृषि ऋणों के प्रभाव का अनुमान लगाना।

शोध विधि– वर्तमान अध्ययन उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले तक ही सीमित है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा गैर –कृषि ऋण प्रदान किये गए कमजोर वर्गो के उधारकर्ताओं का एक उद्वेश्य मूल्यांकन प्राप्त करने के लिये, जिले के तीन अलग– अलग ब्लाकों कुरावली, सुल्तानगंज व बेवर का चयन किया गया है। वर्तमान अध्ययन जिले के तीन चयनित ब्लाकों में तीन शाखाओं के संचालन बैकों का अध्ययन ही लिया गया है। जहॉ गैर–कृषि गतिविधियों विशेष रूप से ग्रामीण करीगरों, छोटे व्यापारियों, छोटे व्यवसायों को ऋण प्रदान किया है। यह जानने के लिये कि इन उधारकर्ताओं की आय और रोजगार में काफी वृद्वि हुई या नही, ऋणराषि के उपयोग के बाद आय और रोजगार क्रेडिट सुविधा से पहले और क्रेडिट सुविधा एकत्र करने के बाद और निष्कर्ष पर पहुॅचने की तुलना में।

आकड़ों का सर्वेक्षण– अध्ययन के लिये आवश्यक ऑकड़ों को प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों से एकत्र किया गया है। इस उद्वेश्य के लिये विशेष रूप से तैयार की अनुसूची की सहायता से प्राथमिक आकड़ों को एकत्र किया गया। अनुसूचित जातियों के 27, पिछड़ी जातियों 38 सवर्ण जातियों के 24 तथा अन्य 13 उधारकर्ताओं को शामिल करते हुए 102 उधारकर्ताओं के यादृच्छिक नमूने का साक्षात्कार लिया गया।

द्वितीयक आकड़ें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंका के प्रधान कार्यालय, पुस्तकों, पत्रिकाओं, और अन्य प्रकाशित और अप्रकाशित अभिलेखों से एकत्र किया गया है।

एकत्रित आकड़े का विश्लेषण किया गया है। गैर–कृषि ऋणों की मंजूरी, ऋण के उपयोग और उधारकर्ताओं की आय और रोजगार पर ऋण के प्रभाव के सन्दर्भ में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की भूमिका को सामने लाने के लिये प्राथमिक और द्वितीयक दोनों आकड़ों को मदवार सारणीबद्व किया गया है।

गैर कृषि सम्बन्धी गतिविधियां– ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे व्यापारियों और छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिये, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा व्यवसाय और व्यापार की सभी श्रेणियों जैसे– विक्रेता, किराना, पान की दुकान, सिगरेट बेचने वाले, छोटे दुकानदार, फल विक्रेता, चाय विक्रेता, ढाबा वाले, व मांस बेचने वाले, मछली बेचने वाले, नाई, धोबी, टेलर्स आदि संभावित उधारकर्ता की पात्रता उसकी पूर्व निवेश वार्षिक शुद्व आय के आधार पर निर्धारित की जाती है, जिसे उनकी वार्षिक आय 35000 हजार रूपये से ज्यादा नही होती है। उपरोक्त गतिविधियों को शुरू करने या चलने के लिये ऋण प्रदान किय जाता है। ऋण की मात्रा का निर्धारण पूॅजी, वार्षिक कारोबार, आय, आगे के पूॅजी निवेश की समृद्वि व्यवसाय के सुधार की गुंजाइश आदि के आधार पर किया जाता है।

ग्रामीण कारीगर– क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण कारीगरों और ग्रामीण शिल्पकारों की वित्तीय आवश्यकताओं को भी पूरा करते हैं। ये लोग इतने गरीब है कि अपनी उत्पादक गतिविधियों का विस्तार करने के लिये खुद का कोई निवेश नही कर सकते। वे पुरानी और निम्न तकनीक, पुराने उपकरणों को अपनाते हैं और इस तरह निर्मित उत्पादों से प्रतिस्पर्धा का सामना करने में असमर्थ होते हैं। उन्हें अपने तैयार उत्पादों के लिये बाजार की कमी की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन कठिनाईयों और समस्याओं को ध्यान में रखते हुये, उन्हें बैंक की वित्तीय सहायता के लिये एक मजबूत आधार की आवश्यकता हैं। उन्हें अपनी ऋण आवश्यकताओं के लिये गैर– संस्थागत स्रोतों पर निर्भरता से भी मुक्त होना होगा। वर्तमान में में वित्तपोषित विभिन्न प्रकार की गतिविधियों और कारीगरों की जरूरत जैसे– बर्तन बनाना, टोकरी बनाना, बीड़ी बनाना, हथकरघा, सिलाई, चटाई बुनाई, रिक्शा, बढ़ई, मोची, चिप्स बनाना आदि सम्पूर्ण नही है, बल्कि विभिन्न प्रकार के ग्रामीण कारीगरों का संकेत है, जिन्हें गॉवों में वित्तपोषित किया जा सकता है। ये कारीगर अलग–अलग उत्पाद तैयार करते हैं जो या तो स्थानीय बाजारों या अन्य जिलों या राज्यों के नजदीकी बाजारों के लिये होते हैं। ज्यादातर वे स्थानीय जरूरतों के लिये

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- I, Issues-27, YEAR- Jan.-March-2023

होते है, क्योंकि उत्पादन छोटे पैमाने पर किया जाता है। भावी उधारकर्ता की पात्रता आय मानदण्ड के आधार पर निर्धारित की जाती है। ऋण या तो अचल सम्पति जैसे मशीनरी, उपकरण, आदि की खरीद के लिये या कच्चें माल जैसी कार्यशील सम्पति के लिये दिया सकता है। वे ऋण की मात्रा, आय सृजन, उधारकर्ता की चुकौती क्षमता आदि के आधार पर या तो अल्पकालिक या मध्यम अवधि के ऋण मासिक किस्तों में चुकाया जा सकता है– तीन या पॉच साल की अवधि में ऋण, जबकि अल्पकालिक ऋण मासिक किस्तों में एक वर्ष से कम समय में चुकाने योग्य है।

आकड़ों का विश्लेषण– जनपद मैनपुरी मे उपलब्ध संस्थागत वित्त सुविधायें – संस्थागत वित्त सुविधाओं के अन्तर्गत मुख्य रूप से राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंक, गैर– राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंक, ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक एवं भूमि विकास बैंक सम्मिलित होते है। जनपद में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें 79, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखायें 48 और गैर– राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाऐं 38 सूचित हुई है। इनका एक विकास स्तर अध्ययन तालिका में किया गया है।

तालिका संख्या–1

जनपद मैनपुरी में बैंकिग व्यवस्था तथा प्रगति 2020–2021

वर्ष/विकास खण्ड		राष्ट्रीयकृत बैंक शाखाऐं	क्षे0 किसान ग्रामीण बैंक	गैर–राष्ट्रीयकृत बैंक शाखाऐं
2018–19		91	47	34
2019–20		60	44	29
2020–21		79	48	38
विकास खण्ड वार 2020–21				
1	मैनपुरी	28	4	9
2	अलाओ	1	5	1
3	कुरावली	6	3	1
4	सुल्तानगंज	2	8	0
5	बेवर	7	6	5
6	किशनी	4	4	5
7	करहल	5	4	3
8	बरनाहल	2	4	2
9	घिरोर	3	6	3
	योग ग्रामीण	58	44	29
	योग नगरीय	21	4	9
	योग	79	48	38

स्रोत–साख्किीय पत्रिका मैनपुरी, 2021– लीड बैंक अधिकारी मैंनपुरी,
http://updes.up.nic.in/spiderreports/gettable53Report.action

तालिका के निरीक्षण से ज्ञात होता है कि जनपद में राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों की 79 शाखायें सूचित हुई है जिनमें 58 ग्रामीण क्षेत्रों में और 21 नगरीय क्षेत्रों में है। ग्रामीण क्षेत्रों में मैनपुरी विकास खण्ड में 28, अलाओं में एक, कुरावली में 6 सुल्तानगंज में 2, बेवर में 7, किशनी में 4, करहल में 5, बरनाहल में 2 व घिरोर विकास खण्ड में 3 शाखायें सूचित है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जनपद में कुल 48 शाखायें हैं जिनमें 44 ग्रामीण क्षेत्रों में और 4 नगरीय क्षेत्रों में है। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक शाखायें सुल्तानगंज विकास खण्ड में 8 पायी गई है जबकि घिरोर व बेवर विकासखण्ड में 6–6 शाखायें ज्ञात हुई है। सबसे कम कुरावली विकास खण्ड में 3 शाखायें सूचित है। गैर–राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल 38 शाखाऍ जनपद में सूचित है। जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 29 तथा नगरीय क्षेत्रों में 9 शाखायें ज्ञात हुई है।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- I, Issues-27, YEAR- Jan.-March-2023

तालिका संख्या–2

जनपद में व्यवसायिक बैंक में जमा धनराशि एवं वितरण ऋण (हजार रूपये)

विकास खण्ड	2018–19	2019–20	2020–21
धनराशि जमा	47064100	54409400	58245700
कुल ऋण वितरण	30530300	3330700	34648600
जमा राशि में ऋण वितरण का प्रतिशत	65.00	61.21	59.49
ऋण वितरण के क्षेत्र–			
1. कृषि कार्य	7405700	7403700	13226700
2. लघु उद्योग	2286500	2882100	3025600
3. अन्य	1104200	601300	534300
योग–	10796400	10887100	16786600

स्रोत–साख्यिकीय पत्रिका मैनपुरी, 2021– लीड बैंक अधिकारी मैनपुरी,
http://updes.up.nic.in/spiderreports/gettable53Report.action

तालिका के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि वर्ष 2020–21 में ऋण वितरण के क्षेत्र में कृषि कार्य हेतु ऋण 1,32,26700 रूपये का लघु उद्योगों को ऋण 3025600 रूपये का और अन्य कार्य के लिये ऋण 534300 रूपये का दिया गया है।

तालिका संख्या–3

चयनित ब्लाकों के उधारकर्ताओं का जातिवार वितरण

क्र. सं.	चयनित ब्लॉक का नाम	जातिवार				
		सामान्य जाति	अन्य पिछड़ी जाति	अनुसूचित जाति	अन्य	कुल योग
01	कुरावली	8	15	7	4	33
02	सुल्तानगंज	7	12	11	5	35
03	मैनपुरी	10	11	9	4	34
वा योग		24 (23.41)	38 (37.25)	27 (26.47)	13 (12.74)	102 (100)

स्रोत– व्यक्तिगत सर्वेक्षण

निम्न तालिका 3 सर्वेक्षित कुल 102 उधारकर्ताओं क जातिवार वितरण को दर्शाती है। कुल 102 उधारकर्ताओं में से 23.41 प्रतिशत सामान्य जाति, 37.25 प्रतिषत, अन्य पिछड़ी जाति, 26.47 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 12.74 प्रतिशत अन्य जाति के है।

तालिका संख्या–4

क्र. सं.	चयनित ब्लॉक का नाम	श्रेणीवार			
		ग्रामीण कारीगर	छोटे व्यापारी	लघु व्यापारी	योग
01	कुरावली	20	7	6	33
02	सुल्तानगंज	26	7	2	35
03	मैनपुरी	23	11	.	34
योग		69 (67.65)	25 (24.51)	8 (7.84)	102 (100)

स्रोत– व्यक्तिगत सर्वेक्षण

निम्न तालिका 4 सर्वेक्षित कुल 102 उधारकर्ताओं के श्रेणीवार वितरण को दर्शाती है। कुल 102 उधारकर्ताओं में से 67.65 प्रतिशत ग्रामीण कारीगर, 24.51 प्रतिशत, छोटे व्यापारी, 7.84 प्रतिशत लघु व्यापारी है।

तालिका सं–5

कमजोर वर्गो द्वारा प्राप्त रोजगार और आय पर गैर– कृषि ऋणों का प्रभाव

श्रेणी (आर्थिक आधार)	आवृत्ति (संख्या)	लाभान्वित होने के पूर्व			लाभान्वित होने के पश्चात्				
		कृषि	मजदूरी	दस्तकारी	कृषि	पशुपालन	ग्रामीण उद्योग	तृतीय क्षेत्र की सेवाएं	अन्य
लघु किसान	25 (24.51)	25 (24.51)	...	.....	11 (11.22)	6 (5.88)	02 (01.96)	02 (01.96)	01 (00.98)
सीमान्त किसान	38 (37.25)	38 (37.25)	...	----	20(19. 60)	17(16.66)	02 (02.94)	02 (01.96)	01 (00.98)
भूमिहीन श्रमिक	25 (24.51)	..	25 (24.51)	----	----	19(18.62)	3(2.94)	4(3.92)	-----
ग्रामीण दस्तकार	14 (13.72)	...	.....	14 (13.72)	----	4(3.92)	4(3.92)	3(2.94)	01 (00.98)
समस्त योग	102	63	25	14	31	46	11	11	03
प्रतिशत	100.00	61.76	24.51	13.72	30.39	45.09	11.22	11.22	2.94

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- I, Issues-27, YEAR- Jan.-March-2023

स्रोत– व्यक्तिगत सर्वेक्षण

निम्न तालिका 5 सर्वेक्षित कुल 102 लाभान्वित परिवारों के निदर्ष सूचनादाताओं के व्यवसायों को दर्शाती है। तालिका के ऑकड़ों का ऊर्ध्वाधरत : विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि योजनान्तर्गत लाभान्वित होने से पूर्व कृषि करने वाले 61. 76 प्रशित थे लेकिन योजनान्तर्गत लाभान्वित होने के पश्चात् मात्र 30.39 प्रतिशत ही रह गए, सुस्पष्ट है कि अन्य व्यवसाय अर्जित कर लिए, योजनान्तर्गत लाभान्वित होने के पश्चात् पशुपालन तथा ग्रामीण उद्योग धन्धे अपना लिये हैं जिनके प्रतिशत क्रमशः 45.09 प्रतिशत तथा 11.22 प्रतिशत पाए गए हैं। लाभान्वित होने से पूर्व दस्तकारी कार्य करने वाले 11.22 प्रतिशत निदर्शितों ने तृतीय क्षेत्र की सेवाऍं अर्जित कर ली हैं। इन तथ्यों के प्रकाश में निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि – '' विभिन्न योजनान्तर्गत लाभान्वित हो जाने से निदर्शितों ने रोजगारों के विभिन्न प्रकार के अतिरिक्त संसाधन अर्जित कर लिये हैं।

मूल्यांकन– डेटा से पता चलता है कि उधारकर्ताओं की आय में सुधार हुआ है और बैंक ऋण से उत्पन्न अतिरिक्त रोजगार सभी उधारकर्ताओं के मामले मे महत्वपूर्ण है और अनुसूचित जाति के मामले में बढ़ा हुआ रोजगार अधिक है, हालांकि आय में सुधार के मामलें में अधिक है अन्य जातियॉ के। ग्रामीण करीगरों से अतिरिक्त रोजगार और आय छोटे व्यवसायों की तुलना मे सभी उधारकर्ताओं के लिये अधिक है। हालांकि छोटे–मोटे कारोबारों से रोजगार और आय महत्वपूर्ण है। बैंक को लघु व्यवसाय योजनाओं के सम्बन्ध में पर्याप्त ऋण राशि भी प्रदान करनी चाहिये। छोटी व्यापार योजनाओं के सम्बन्ध में ऋण राशि का बहुत अधिक विचलन होता है, क्योंकि बैंक अधिकारी उधारकर्ताओं की जॉच नही कर पाते हैं कि उन्होनें सम्पत्ति खरीदी है या नहीं। कुल मिलाकर मैनपुरी ग्रामीण बैंक का प्रदर्शन जिलें के ग्रामीण क्षेत्रों मे सभी जातियों के गरीब कर्जदारों की ग्रामीण आवश्यकताओं को पूरा करने के मामले में असंतोषजनक है। बैंक को कमजोर वर्गो की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने पर विशेष बल देते हुये बैंक के मुख्य उद्देश्यो को पूरा ध्यान में रखना होगा तॉकि उनकी आय और रोजगार में वृद्वि करके उनके जीवन स्तर में सुधार किया जा सकें। ऋण की राशि के बाबजूद, अनुत्पादक गतिविधियों के लिये ऋण के विचलन की गुजाइश दिये बिना उधारकर्ताओं द्वारा ऋण राशि के उपयोग पर बैंक का सख्त पर्यवेक्षण होना चाहिये। ऋण प्रदान करने में अधिक, इसका उचित उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गो के समग्र विकास को प्राप्त करने में एक लम्बा रास्ता तय करने मे मदद करता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Haq,ul,Mohammad(June-Dec,1971) : Employment and Distri Bution in the 1970s A new perspec tive" Pakistan Economic and Social Review, : P-6.
2. Reserve Bank of India, Report on Currency and Finance, 1975-76, Vol.I, Economic Review, Bombay, 1976, P.100.
3. Government of India, 'Report of the Committee on Rural Banks, New Delhi, 1975.
4. अग्रवाल, एस.एन. (1999): कृषिकों की आर्थिक समस्याऍं विकास, विकास पब्लिकेशन, जवाहर नगर, नई दिल्ली।
5. ओझा, वी.एल.,(969) – भारत में आर्थिक नियोजन, विवके प्रकाशन, जवाहर नगर, नई दिल्ली।
6. अग्रवाल, जी.के., और शीलस्वरूपप पाण्डेय (1990) – ग्रामीण समाज शास्त्र, आगरा बुक डिपो, आगरा (उत्तर प्रदेश)।
7. दत्ता, पी.सी.,– भूमिहीन श्रमिकों की समस्याएं, जर्नल ऑफ आई.सी.एस.आर. नई दिल्ली।
8. रूहेला, एस.पी., (1970) – सामाजिक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान के मूल तत्व, विवके प्रकाशन, जवाहर नगर, दिल्ली
9. सिंह, आर. के. (1997) – कृषि तथा ग्रामीण विकास की समस्याएं, रिसर्च पब्लिकेसन्स, जयपुर (राजस्थान)
10. भनवाला, कुमार हर्ष, अध्यक्ष सम्बोधन, नाबार्ड, 2017–18.
11. ग्रामीण विकास मन्त्रालय, वार्षिक रिपोर्ट 2007–2008, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ. 35.
12. रूहेला, एस.पी., (1970): सामाजिक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान के मूल तत्व, विवेक प्रकाशन , जवाहर नगर, दिल्ली।
13. आल इण्डिया रूरल सर्वे क्रेडिट सर्वे कमेटी,1951–52: जनरल रिपोर्ट– वित्त मन्त्री श्री पी. चिदम्बरम द्वारा बजट भाषण 2006–2007 से, पृ0 55.
14. गेविल, आर.के. और त्रिपाठी : भारत की कृषि अर्थव्यवस्था, बायोरेड रिसर्च सोसाइटी, इलाहाबाद 2004, पृ.139.
15. Sadhu & singh : Fundamentals of Agricultural Economics, Himalaya Pub. House, 2004, P 447.
16. https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php/: 27/july/2021.

*****